आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Office of the Development Commissioner for Handlooms

Handloom Weavers' Welfare (earlier Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme)

NHDP का एक हिस्सा, जो हथकरघा बुनकरों और कामगारों को दुर्घटना व जीवन बीमा कवर और सरकारी वस्त्र संस्थानों में पढ़ रहे उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देता है।

क्या मिल सकता है

बीमा: 18 से 50 वर्ष के लिए PMJJBY से 2 लाख रुपये का जीवन बीमा और 18 से 70 वर्ष के लिए PMSBY से दुर्घटना कवर: मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये। छात्रवृत्ति: बुनकर या कामगार के अधिकतम दो बच्चों को 3 या 4 साल के वस्त्र डिप्लोमा, डिग्री या स्नातकोत्तर कोर्स में फीस के साथ 5,000 रुपये मासिक वजीफ़ा, प्रति बच्चा प्रति वर्ष अधिकतम 2 लाख रुपये या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो।

किसके लिए है

हथकरघा बुनकर और कामगार, तथा उनके अधिकतम दो बच्चे जो मान्यता प्राप्त, सरकार द्वारा वित्तपोषित वस्त्र संस्थानों में पढ़ते हैं।

मुख्य शर्तें

- PMJJBY जीवन बीमा 18 से 50 वर्ष के बुनकरों और कामगारों के लिए है, और PMSBY दुर्घटना बीमा 18 से 70 वर्ष वालों के लिए।
- दोनों कवर 1 जून से 31 मई तक चलते हैं और हर साल प्रीमियम भरकर नवीनीकरण कराना होता है। सालाना प्रीमियम PMJJBY का 436 रुपये है, जिसमें केंद्र 198 रुपये और राज्य या बुनकर 238 रुपये देते हैं; PMSBY का 20 रुपये है, जो पूरा केंद्र देता है।
- पुराना कन्वर्ज्ड MGBBY कवर एक बंद समूह है: 51 से 59 वर्ष के वही बुनकर, जो 31 मई 2017 को पहले से नामांकित थे। नए सदस्य नहीं जोड़े जाते।
- छात्रवृत्ति बुनकर या कामगार के अधिकतम दो बच्चों के लिए है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त और सरकार द्वारा वित्तपोषित वस्त्र संस्थान के 3 या 4 साल के डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर कोर्स में पढ़ते हों।
- बुनकर या बच्चे को यह वचनपत्र देना होगा कि किसी अन्य स्रोत से ऐसी ही सहायता नहीं ली जा रही।
- दूसरे साल से छात्रवृत्ति तब मिलती है जब पिछली वार्षिक परीक्षा की अंकतालिका और अगले सत्र में प्रवेश का प्रमाण जमा हो।

दस्तावेज़

- बैंक या LIC का बीमा नामांकन फ़ॉर्म
- प्रवेश पत्र और ट्यूशन फ़ीस की रसीद
- बुनकर या कामगार का पहचान कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
- पिछली वार्षिक परीक्षा की अंकतालिका (दूसरे साल से)
- मृत्यु या अपंगता प्रमाणपत्र (बीमा दावे के लिए)

आवेदन कैसे करें

1. बीमा: बैंक या LIC का नामांकन फ़ॉर्म भरकर अपने प्रीमियम हिस्से के साथ नोडल कार्यालय में जमा करें; यह राज्य का हथकरघा निदेशालय या उसका क्षेत्रीय कार्यालय है।
2. बीमा दावे के लिए दावेदार या नामित व्यक्ति बैंक या LIC का दावा फ़ॉर्म मृत्यु या अपंगता प्रमाणपत्र के साथ जमा करता है, और राशि उसके बैंक खाते में आती है।
3. छात्रवृत्ति: प्रवेश पत्र, फ़ीस की रसीद, पहचान कार्ड और बैंक विवरण लेकर अपने बुनकर सेवा केंद्र जाएँ, जो मूल कागज़ात से इनकी जाँच करता है।
4. बुनकर सेवा केंद्र प्रस्ताव अपने क्षेत्रीय कार्यालय को भेजता है, जो हथकरघा विकास आयुक्त से धन माँगता है, और राशि DBT से बैंक खाते में जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://handlooms.nic.in/assets/img/Handloom%20Schemes/NHDP_English%20Compendium_2024.pdf#page=60
आधिकारिक PDF: https://handlooms.nic.in/assets/img/Handloom%20Schemes/NHDP_English%20Compendium_2024.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/central/nhdp-handloom-weavers-welfare/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।